52 II/पुनवि0/सीधी/2018/01327

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा (म0प्र0)

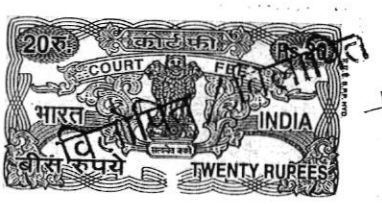

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES +10=30

1. अरुण प्रताप सिंह तनय स्व0 श्री हेमराज सिंह
2. अनन्त प्रताप सिंह तनय स्व0 श्री हेमराज सिंह
3. अखिलेश्वर सिंह तनय स्व0 श्री हेमराज सिंह
4. ओमकार सिंह तनय स्व0 श्री हेमराज सिंह
5. अवधूत सिंह तनय स्व0 श्री हेमराज सिंह
6. आदित्य सिंह तनय स्व0 श्री हेमराज सिंह

सभी निवासी ग्राम टीकट कला, तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0

-----आवेदकगण

बिरुद्ध

1. चन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व0 श्री भोला सिंह
2. बलराज सिंह तनय स्व0 श्री भोला सिंह

दोंनो निवासी ग्राम टीकट कला, तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0

----अनावेदकगण

अभि0 श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा पेश। 22-02-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन 1959ई0 इस माननीय न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 5107-दो/2017-18 आदेश दिनांक 02.02.18 के पुनर्विलोकन बावत। .

मान्यवर,

पुनर्विलोकन अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः-

1. मामले मे यह बिन्दु निहित था कि संबंधित भूमियां पुराना नं-2095 जिसका नम्बर बन्दोवस्त मे 2232 व 2233 हुआ, के संदर्भ मे अनावेदक ने इस बिन्दु पर आवेदन प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदक के पिता हेमराज सिंह से भोला सिंह ने सन 1972 मे खरीदा और फर्जी टीप बना करके नामांतरण का आवेदन दिया जो कि ग्रहण एवं विचारणीय नही था। उक्त बिन्दु पर विचार करके आदेश देना चाहिए तद्नुसार अंतिम सुनवाई के स्टेज मे जो तहसीलदार के समक्ष दस्तावेजों

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/सीधी/भूरा/2018/1327

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23–5–18	आवेदक अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 5107–दो/17 में पारित आदेश दिनांक 2.2.18 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/सीधी/भूरा/2018/1327 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 5107–दो/17 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 2.2.18 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/सीधी/भूरा/2018/1327 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

प्रकरण क्रमांक दो/रिव्यु/सीधी/भूरा/2018/1327

उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य